राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे –III/ 3491 दिनांक :– 27-06-2019

श्री गोविन्द नारायण मेठी,
पुत्र श्री शंकर लाल मेठी,
27, वी.आई.पी. कॉलोनी,
तेजाजी का चौक, भांकरोटा,
अजमेर रोड़, जयपुर (राज.)।

विषय :– कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच एवं चरित्र सत्यापन करवाने बाबत्।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर आपका नाम कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को भिजवाया गया है। निर्देशानुसार नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न कार्यवाही वांछित है:–

1. आपके फार्म में अंकित तथ्यों का आपके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन।
2. आपके चरित्र का जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन।
3. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत किया जाना।
4. रूपये 50/– मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संलग्न शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना।

अतः इस पत्र के साथ चरित्र सत्यापन करवाने संबंधी प्रपत्र (अटेस्टेशन फार्म–05 प्रतियों में) एवं संलग्न सूची के अनुसार आवश्यक शपथ पत्रों के प्रारूप की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है, जिनकी सम्पूर्ण पूर्ति कर अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (पिता की आय के आधार पर नवीनतम) एवं विकलांगता आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ **दिनांक 28.06.2019 को प्रातः 11 बजे निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, कक्ष 305,"सी" ब्लॉक, तृतीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर** में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें ताकि मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं चरित्र सत्यापन कराकर आपकी नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जा सके। उक्त कार्य के लिए उपस्थित होने पर आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में समान प्रकृति के प्रकरणों में दायर की जाने वाली/दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2 (16) वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 27.09.2018 में लिए गये निर्णय अनुसार यह अभिस्तावना उक्त अभ्यर्थियों के प्रकरणों में दायर एस.बी.सी. रिट याचिका संख्या 3217/2017 गोविन्द नारायण मेठी बनाम आयोग में होने वाले अन्तिम निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय में लम्बित, जितेन्द्र कुमार एवं सुरेन्द्र व्यास के प्रकरणों में पारित/पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी तथा याचिका सं. 13077/2018 भरत कुमार बनाम स्टेट व अन्य में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2013 की समस्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अधीन रहेगी तथा उक्त पदों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में लंबित विभिन्न याचिकाओं एंव माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित विभिन्न रिट याचिकाओं/एस.एल.पी के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे –III/ 3491
प्रतिलिपि :– दिनांक :– 27-06-2019

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयेाग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी), कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

D drive/Data/Sas-3/S.A.S._III/2016/ Natani Ji/ lettar 76